

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्वेताग कुमार पिता- देवेन्द्र कुमार ग्राम- आदर्श कॉलोनी कोइरी टोला वार्ड 26 पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी नं0- 105382841	IBD-CD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	गुनगुन कुमारी पिता- राजन प्रसाद ग्राम- इलमराज चौक पो+थाना- बेतिया जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी नं0- 102902468	Congenital Scoliosis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 126837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु,

बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 544(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महारानी देवी पति-तेज नारायण सिंह ग्राम-चाई टोला दरियापुर गोला पो0+थाना-कदमकुआ जिला-पटना यु0एचआईडी-108071545	हृदय रोग (सी0ए0बी0जी0)	95,000	पन्चानवे हजार स्वीकृत।
			95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 95,000/- (पन्चानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 545 (14)

पटना, दिनांक 24/2/25

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक..... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	ऋषभ कुमार पिता- सुनील कुमार राय ग्राम- रघुनाथपुर इमादपुर पो०- इमादपुर थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 107217624	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584247, खाता धारक का नाम-AIIMS CNC ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 546 (14)

पटना, दिनांक 24/21/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर अमर चौबे पिता- प्रेम शंकर चौबे ग्राम- हरिगँव पो०- सनेया बरहटा थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें 🕒
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष",
खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 548(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर
दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,
Gomati Nagar Extension,
Shaheed Path, Lucknow - 226002

पटना, दिनांक.

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिप्ती पाठक पिता- व्यास पाठक ग्राम- मझवलिया पो०- मटियारी थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	अजून नेशा पति- मुस्लिम मिया ग्राम- चौबरिया पो०- लगुनाहा थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196837~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200094202233 खाता धारक का नाम- "Health Plus Research & Medicentre LLP" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0001267 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 549(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रोशन सिंह पिता- दयानन्द सिंह ग्राम- सुडीहा पो0- परसा थाना- गौरीचक जिला- पटना केस फाईल न0- सीवी/03265	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मोहम्मद निजामुद्दीन पिता- मोहम्मद जमालुद्दीन ग्राम- मिल्की मोहल्ला उम्र बिन खत्ताब मस्जिद के पास आरा पो0- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर केस फाईल न0- सीवी/29458	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र प्रसाद महतो पिता- बुधन महतो ग्राम+पो0- सिधियाघाट थाना- विभूतिपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- सीवी/15092	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	खालिद सलाम अख्तर पिता- एम0 सुल्तान अख्तर हसनी ग्राम- सोलरा कॉलोनी स्वराजपुरी रोड पो0- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- सिविल लाइन थाना जिला- गया केस फाईल न0- 11एफ2023/031989	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

5	अमोद कुमार पिता- देव कुमार राय ग्राम- सबलपुर पश्चिमी टोला पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण केस फाईल नं0- सीटी/16994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुनीति देवी पति- गौतम कुमार ग्राम- मायापुर पो0- तरवां थाना- वजीरगंज जिला- गया केस फाईल नं0- 11एफ2025/002521	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	विमला देवी पति- सुनील कुमार दुबे ग्राम- नई भिखाचक पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना केस फाईल नं0- 11एफ2024/029850	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
8	श्वेता देवी पति- सजीव कुमार झा ग्राम+पो0- हँसा थाना- रानीगंज जिला- अररिया केस फाईल नं0- 11एफ2023/016149	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	शिव कुमार झा पिता-राम वचन झा ग्राम+पो0-देकुली थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा केसफाईलनं0-11एफ2024/014218	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
10	कलावती देवी पति-राम प्रताप प्रसाद ग्राम+पो0-भेरगावा थाना-धनरूआ जिला पटना केसफाईलनं0-11एफ2023/033707	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	अभिषेक कुमार पिता- अजय कुमार सिंह ग्राम- नियर दनवा पोखर बैरिया पो0- कोलहुआ पैगम्बरपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 11एफ2024/039236	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	विन्दा देवी पति- आत्मा राम प्रसाद ग्राम-धोबबलिया वार्ड 9 पो-जिगरावों थाना-महराजगज जिला-सीवान केसफाइलन-सी0भी0 / 33660	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			9,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,40,000/- (नौ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 126837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं 0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 555(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं 126837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय कुमार पिता- कमलेश्वरी प्रसाद यादव ग्राम- सकहरा पो०- विष्णुपुर थाना- रजौन जिला- बांका सीआर नं०- 20241192324	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रामसेवक शाह पिता- सहदेव शाह ग्राम- डुमरा पो०- जैतिया थाना- चनपटिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं०- 2024494736	हेपेटाइटिस क्रिटिकल	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रामदर्शन कुमार पिता- धर्मनाथ भगत ग्राम- बंगरा पो० डूमरसन थाना- मशरक जिला- सारण सीआर नं०- 2017789458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	जानकी देवी पति- विश्वनाथ खर्गा ग्राम- सूरतगज पो०- मधुबनी थाना- टाउन जिला- मधुबनी सीआर नं०- 20241198076	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

5	शशि कुमार चचल पिता- स्व० बिजेन्द्र सिंह ग्राम- लच्छु बिगहा पो०- पभेडी मोड थाना- धनरुआ जिला- पटना सीआर न०- 2015037606	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
6	विपुल मिश्रा पिता- श्रीमुनि मिश्रा ग्राम- रामपुर पो०- पिपरा थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर न०- 2019458052	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
7	नाहिद प्रवीण पिता- नजाम उद्दीन ग्राम- मीरगज पो०+थाना- वजीरगंज जिला- गया सीआर न०- 2024088245	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	राहुल कुशवाहा पिता- मोहन कुशवाहा ग्राम- बरवा पो०- कटेया थाना- कटेया जिला- गोपालगंज सीआर न०- 2024399487	हेपेटाइटिस रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	गोरख भगत पिता- बिभूति भगत ग्राम- चकरवा पो०+थाना- भोरे जिला- गोपालगंज सीआर न०- 20241153950	हेपेटाइटिस रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	हरे राम यादव पिता- सीताराम यादव ग्राम- उमर मठिया पो०- माझा थाना- मांझागढ जिला- गोपालगंज सीआर न०- 2024286120	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	बासमती देवी पति- महेद्र यादव ग्राम- रामपुर कला पो०- राधागंज थाना- फुलवरिया जिला- गोपालगंज सीआर न०- 20221067762	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

12	रामसुंदर ठाकुर पिता- झगुर ठाकुर ग्राम- मालदा पो0- डी0 के0 शिकारपुर थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241182015	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सबिता देवी पति- नारद यादव ग्राम- महारानी उग्रसेन पो0- महारानी थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 2025115078	Solid Eythic Sol of Panena	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	पुष्पा कुमारी पति- कामेश्वर राय ग्राम- रेपुरा रामपुर विश्वनाथ पो0- जैतपुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2022011981	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
15	मनोज कुमार साह पिता- राम बिशुन साह ग्राम- महबूब छपरा पो0+थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 2024403140	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
16	अभिनीति आर्या पिता- अभिरजन कुमार ग्राम- रेपुरा पो0+थाना- लालगंज जिला- वैशाली सीआर न0- 2024377467	Choledochal Cyst	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	ब्रिजेश कुमार यादव पिता- योगेद्र राय ग्राम- सवरी बाजार पो0+थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर नं0- 2019917564	Dignostic Laprosopy	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	अखिलेश कुमार सिंह पिता- स्व0- भगवान सिंह ग्राम- न्यू एरिया वार्ड 17 पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास सीआर न0- 2023201864	Chronic myeloid Leukemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	शैल देवी पति- रवि शंकर ओझा ग्राम- अमवा पो0- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 2019852117	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
20	मो0 सागीर पिता-नईम मिया ग्राम-मोमीनपुर वार्ड 6 पो0-डुमरी थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-20241112297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	करीमन राम पिता-रामदीन राम ग्राम-बनकट वार्ड 12 पो0-बिन्द वलीया थाना-विशम्भरपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2024634708	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	कमलावती देवी पति- रतन देव यादव ग्राम- भिखाबांध वार्ड 06 पो0- बी सतजोडा थाना- दरौंदा जिला- सिवान सीआर नं0- 20241174191	हृदय रोग सीएबीजी	2,70,000	दो लाख सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
23	भुवनेश्वर पिता- अनमोल कुमार ग्राम+पो0+थाना- पियर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2023395880	Type 1 PUV (Gystoscopy)	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
24	रविद्र कुमार गुप्ता पिता- स्व0 नन्द किशोर शाह ग्राम- शिव चक माल गुलजारबाग पो0- गुलजारबाग थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर नं0- 20241159170	कैसर रोग	1,00,000	एल लाख स्वीकृत।
25	सोनू कुमार पिता- राजेद्र मेहता ग्राम- सैदपुर वार्ड 42 पो0- बाकी पुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना सीआर नं0- 2007365820	Linked Agamma Globulinemia	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	जावेद अख्तर पिता- माव ताज ग्राम- सतवरिया पो0- सिंहपुर थाना- साठी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2024854916	कैसर रोग (Chemotherapy)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

27	फातमा खातून पति- इजहार ग्राम+पो0- रामपरसौना थाना- साठी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2025097081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	नीलम देवी पति- रामगया राय ग्राम- बरियारपुर बरौनी वार्ड 08 पो0- बरौनी थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 20231125902	वृहत् ग्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
29	विरेश कुमार शर्मा पिता- वृज भूषण शर्मा ग्राम+पो0- मोहिउद्दीनपुर थाना- सिवान जिला- सिवान सीआर नं0- 2009204662	लीवर रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
30	उषा देवी पति- सुजय कुमार राय ग्राम- सेमरा निजामत पो0- बिशुनपुर पट्टी थाना- साहेबगंज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 20241014718	लीवर रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
31	किरण पाण्डेय पिता-कौशल किशोर पाण्डेय ग्राम-पियरपुरवा पो0-इसरौली थाना-मढौरा जिला-सारण सीआरन0-2020293162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जैनुद्दीन पिता-मो0 उसमान ग्राम-कटेसर पो0+थाना-नगरा जिला-सारण सीआरन0-2025020372	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	उपेन्द्र सहनी पिता-रामप्रीत सहनी ग्राम+पो0-दलकावा थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढी सीआरन0-20241227881	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			37,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 37,30,000/- (सैंतीस लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

550(14)

पटना, दिनांक

24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	अनिफा खातुन माता- रीमा बेगम ग्राम- जमरा रतनपुर वार्ड 03 पो०- बैरिया थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार एमआरडी न०- 7082764	Hirsprung Disease Neorate	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	निशा तिवारी पिता- बिरेन्द्र तिवारी ग्राम+पो०+थाना- चेनारी जिला- रोहतास एमआरडी न०- 6649062	Pancreatitis	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुशीला देवी पति- स्व० गोरख नाथ सिंह ग्राम- बडुरी पो०- कुडारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 5020313	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सूर्यनाथ सिंह पिता- शिवचंद सिंह ग्राम- घोरडीहा पो०- श्रीखिडा थाना- नोखा जिला- रोहतास एमआरडी न०- 6033609	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

A

5	रहिमन बेगम पति- मजूर आलम ग्राम+पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 5769949	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	आशरुन बीबी पति- करीमुल्ला मियां ग्राम- खडसरा महमूदगज पो0- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न07 6644900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	विकाश कुमार पिता- नन्द किशोर बॉध ग्राम- सरेवा पो0- कूडासन थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6629879	सर्जिकल सूरेटेनिक रिइम्पलान्ट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 6,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,15,000/- (छ लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **196837** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **27790100039150** खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष"**, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

551(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0...176827... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक.... ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामबृक्ष प्रसाद चौरसिया पिता- छटु महतो ग्राम- नोनही पो०- राजगीर थाना- राजगीर जिला- नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	नरेन्द्र कुमार पिता-बृज नदन सिंह ग्राम-वृन्दावन कोलनी रोड न०-2 नीयर वाल्मी पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176827... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36180579026, खाता धारक का नाम- **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड सं०-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें।
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 552(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक..

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा कुमारी पति— राजकुमार सिंह ग्राम— सचई पो०+थाना— कृर्था जिला— अरवल केस फाईल न०—11एफ2024/036994	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मोहम्मद खैराती अहमद पिता— मोहम्मद बन्दे अली ग्राम— न्यू एरिया पटेल गली डेहरी पो०+थाना— डेहरी जिला— रोहतास केस फाईल न०— केई/51580	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नीरज कुमार पिता— उमेश शरण प्रसाद ग्राम— काशीपुर पो०— समस्तीपुर थाना— नगर जिला— समस्तीपुर केस फाईल न०—18एफ2024/013986	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुधा देवी पति— स्व० रामविलाश यादव ग्राम— यादव सेवा सदन रोड लाल दरवाजा पो०— मुंगेर थाना— कोतवाली जिला— मुंगेर केस फाईल नं०—18एफ2025/000060	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

An

5	पिरतम यादव पिता- डोमु यादव ग्राम- अरियरी पो0- फरपर थाना- अरियरी जिला- शेखपुरा केस फाईल न0-18एफ2023 / 014708	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मास्टर सत्यम कुमार पिता- कृष्ण कुमार सिंह ग्राम- खरहना पो0- नटेया थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2024 / 002132	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राजीया खातुन पति- उमर असारि ग्राम- नेकरा पो0- मुरादाबाद थाना- अगरेर जिला- रोहतास केस फाईल न0- केई / 01035	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मास्टर आनन्द कुमार पिता- वीपीन शर्मा ग्राम- कवईया पो0- पामा थाना- परतपार पुलिस शिविर जिला- सहरसा केस फाईल न0-16एफ2024 / 002627	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रेणु देवी पति- रामजतन पासवान ग्राम+पो0- चिचौरा थाना- कोच जिला- गया केस फाईल न0-16एफ2023 / 000070	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बिन्दु देवी पति- कृष्णा कात सिंह ग्राम- पठखौली पो0- मुशहरी थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024 / 004728	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	उषा देवी पति- भरत बरनवाल ग्राम- छोटकी सिसई पो0- सिसई थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024 / 019771	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	शिवानी कुमारी गुप्ता पिता- रजन कुमार साह ग्राम+पो0+थाना- सोनहन जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0-16एफ2024 / 002336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	विकास कुमार पिता- विसर्जन सिंह ग्राम- गर्रा पो0+थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2024 / 002631	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	मास्टर सुभम कुशवाहा पिता- मधुसूदन प्रसाद ग्राम- सोनबरसा पो0- नदियाव थाना- एम एच नगर जिला- सिवान केस फाईल नं0-16एफ2025 / 000092	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	चिता देवी पति- उमेश कुमार यादव ग्राम- सेंगर टोला पो0+थाना- रिविलगज जिला- सारण केस फाईल न0-12एफ2024 / 004370	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अनु कुमारी पिता- अरविन्द कुमार ग्राम- पटेलनगर पो0+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-16एफ2025 / 000152	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	सुषमा देवी पति- विनय कुमार ग्राम+पो0- बिर्रा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद केस फाईल न0-18एफ2023 / 018096	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	सुरेश शर्मा पिता- रामधनी शर्मा ग्राम- लौरिया मिश्रा टोला पो0+थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 021685	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	संध्या देवी पति- दिनेश कुमार सिंह ग्राम+पो0+थाना- कुरान सराय जिला- बक्सर केस फाईल नं0-18एफ2024 / 012038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	बालेश्वर राय पिता- भदई राय ग्राम- पटराही खुर्द पो0- अपहर थाना- भेल्वी जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2023 / 002039	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
21	मास्टर अयान मजर पिता- मजर इमाम ग्राम+पो0- मिया के भटकन थाना- आन्दर जिला- सिवान केस फाईल नं0-16एफ2024 / 002649	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	मास्टर आदर्श कुमार पिता- नवनीत कुमार ग्राम- मझियावां पो0- महुआवा थाना- बडेम ओ0 पी0 जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-16एफ2025 / 000162	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	सीमा देवी पति- अजीत कुमार ग्राम- बलियाँ पो0- सराव थाना- नटवार जिला- रोहतास केस फाईल नं0-18एफ2023 / 020087	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	सत्यानंद पाण्डेय पिता- मधेश्वर पाण्डेय ग्राम- गोडीहा पो0- संसा थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-16एफ2024 / 002214	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	सविता देवी पति-अर्जुन कुमार ग्राम-आनन्द नगर पचमदिरा थाना-नगर पो0+जिला-सीवान केसफाइलन0-18एफ2025 / 001881	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	वशिष्ठ यादव पिता-सीताराम यादव ग्राम-चादपाली मिश्र टोला पो0-किशुनपुर मिश्रौली थाना-जीरादेई जिला-सीवान केसफाइलन0-18एफ / 2024 / 020751	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

27	सुमन पाण्डेय पति- मुकेश कुमार पाण्डेय ग्राम- अधिवक्ता नगर वार्ड 14 पो0+थाना7 गोपालगंज जिला- गोपालगंज केस फाईल नं0-18एफ2025 / 000827	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
28	कविता नारायण पति-विद्या रतन सिंह ग्राम-नया टोला दानापुर कम खगौल पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना केसफाइलन0-18एफ2025 / 002014	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
29	मेनका देवी पति-संजय कुमार ग्राम-रेपुरा वार्ड 19 पो0+थाना-लालगंज जिला-वैशाली केसफाइलन0-19एफ2024 / 005659	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
30	जग बहादुर यादव पिता- अनक्ष यादव ग्राम+पो0- परमा थाना- नारदीगंज जिला- नवादा केस फाईल न0-18एफ2024 / 012845	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			30,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,20,000/- (तीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3675632747** खाता धारक का नाम- **होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **RTGS/IFSC** कोड सं0 **CBIN 0280196** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 553(14)

पटना, दिनांक—

24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 116837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

24/2/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ARVACHIN HOSPITAL,
Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,
Akhari Bypass NH 2,
(Near Delhi Public School)
Varanasi 221011.

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अपराजिता हेम्ब्रोम पति- रामानुज सिंह ग्राम- न्यू बैंक कॉलोनी फजलगज पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	आरती कुमार पति- सतोष कुमार ग्राम- जकडपुरा पो0+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	कोकिलियर इम्पलाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200088951405 खाता धारक का नाम- **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **Lohta**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002166** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 554 (14)

पटना, दिनांक— 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना का प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.....196837.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

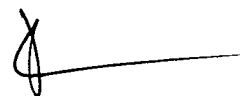
विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लभली कुमारी पति- बिमलेश कुमार राज ग्राम- धरहरा पो०+थाना- पालीगज जिला- पटना सीएमसी न०- 934703 एच	कैसर विथ सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	शिला देवी पति- कन्हैया साह ग्राम- भोपतापुर पो०- बलथरी थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगज सीएमसी न०- एएच 47579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मीना देवी पति- इन्द्रदेव महतो ग्राम+पो०- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीएमसी न०- एएफ 34193	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	योगेश कुमार पिता- सरोज कुमार ग्राम+पो०- सोवा थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीएमसी न०- एबी 11546	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	अवधेश सिंह पिता- जय प्रकाश सिंह ग्राम+पो०- पकरिया थाना- शंभुगज जिला- बाँका सीएमसी न०- एबी 58822	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	अरविन्द कुमार प्रसाद पिता- बनवारी प्रसाद ग्राम+पो0- पाठकचक थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई सीएमसी नं0- एएच 95044	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
7	रितेश कुमार पिता- रामाशकर सिंह ग्राम- नयानगर दुलारपुर पो0- नयानगर थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीएमसी नं0- एजी 10076	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	कुमार विवेक पिता- स्व0 अभय कुमार ग्राम- नया टोला पो0- झाउगज थाना- चौक थाना जिला- पटना सीएमसी नं0- एडी 79570	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	नीतीश कुमार पिता-बिरेन्द्र कुमार ग्राम+पो0-बलीगांव वार्ड 11 थाना-रफीगंज जिला-औरंगाबाद सी0एम0सीन0-ए0एच0 40963	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	शशि भुषण पिता-दिलचद राय ग्राम-सुल्तानपुर पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना सी0एम0सीन0-ए0एच 14077	Diagnosis of CVA	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	राकेश सिंह पिता-हरदत्त सिंह ग्राम-मथुरापुर वार्ड 1 पो0-श्रीपालपुर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर सी0एम0सीन0-ए0एच 76247	ए-प्लास्टिक ऐनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	अरविन्द यादव पिता-तुफानी यादव ग्राम+पो0-डुमर कोला थाना-खैरा जिला-जमुई सीएमसीन0-358895 जी0	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।



13	मास्टर नीरज कुमार पिता-सजीत यादव ग्राम+पो0-डुमर कोला वार्ड 13 थाना खैरा जिला-जमुई सी0एम0सीनं0-ए0एच 85727	हृदय रोग डी0 भी0 आर	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
14	संजय कुमार पिता- बासुदेव सिंह ग्राम- बलौर वार्ड 08 पो0- बलौर थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी नं0- एजी 45439	ग्रेड 4 लिम्फोडेमा (Debulking Surgery)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	अमन कुमार यादव पिता-महेश प्रसाद यादव ग्राम-डुमरी परमानदपुर पो0-धरफरी थाना-देवरिया जिला-मुजफ्फरपुर सी0एम0सीनं0-AF 52061	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			19,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,90,000/- (उन्नीस लाख नब्बे हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 556(14)

पटना, दिनांक

24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196837...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

24/2/25

सं० स० 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सकिबा खातून पिता- नोएब अली ग्राम- लक्ष्मीपुर पो०- कोढोबाड़ी थाना- कोधोवरी जिला- किशनगंज	कार्डियक सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मनोज कुमार पिता-रामजी प्रसाद ग्राम-शाहाबाद पो०-थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मो० शेर खान पिता-मो० जलालुद्दीन खान ग्राम-मोती मिश्रालेन नियर बड़ी मस्जिद भीखनपुर गुमटी न०-3 पो०-प्रधान डाकघर थाना-ईशाचक जिला-भागलपुर	हृदय रोग पी०टी०सी०एस०	1,85,000	एक लाख पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 3,70,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-921030004381537, खाता

R

धारक का नाम— मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि0, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—AXIS BANK LTD, शाखा का नाम—सी0बी0बी0 बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स0 UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधी मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 557(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/25
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक...

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धीरज कुमार पिता- अशोक प्रसाद ग्राम- डीह निजामत पो०- केवटी, थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा सीआर न०- 2017 0120 9185	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रामु कुमार पिता-राज किशोर राय ग्राम-चकमहेषी वार्ड 8 पो०-परखोतमपुर, थाना-मनियारी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-2024 0535 9535	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	रवि रंजन कुमार पिता-अशोक यादव ग्राम-नरावट, पो०-पीयार, थाना-अतरी, जिला-गया सीआरन०-202405432097	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	सत्य लाल राम पिता-स्व० राम नाथ राम ग्राम-महात्मा गांधी नगर बी० एच० कोलनी पो०-बी०एच० कोलनी थाना-अगमकुआ जिला-पटना सीआरन०-201501457754	हृदय रोग क्रोनी एयटी डिजीज	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			7,25,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,25,000/- (सात लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424,

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 ” खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर—12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 6 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

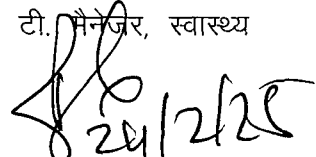
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 558(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जाईरा रिजवान पिता-मो० रिजवान असारी ग्राम-नया गांव वार्ड 7 पो०-बासदेवपुर थाना कोतवाली जिला-मुंगेर	हृदय रोग ए०एस०डी०	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	गायत्री मिश्रा पति- वशिष्ठ नारायण मिश्रा ग्राम+पो०- नवकरही थाना- अरेंर जिला- मधुबनी	Cardio Thoracic and vascular surgery	2,40,000	दो लाख चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,25,000/- (तीन लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 232102000000002, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स० IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 559 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
चरनोक अस्पताल प्रा० लि०
तेघरीया, मेजोर आरटरीयल रोड
न्यु टाउन, कोलकता-700157

पटना, दिनांक.. ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रीति कुमारी पिता- नरेश पासवान ग्राम- बरेव पो०- नेमदारगज थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~176837~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- **50200100799372**, खाता धारक का नाम- **Charnock Hospitals Private Limited**, खाते का प्रकार- **Cash Credit Account**, बैंक का नाम- **HDFC Bank Ltd**, शाखा का नाम- **Ground Floor, Sagar Jyoti Apartment, VIP Road, Kolkata**, RTGS/IFSC कोड स० **HDFC0009518** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

Xm

- 6 चिकित्सा CGHS के दर पर ही निर्गत करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 7 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 560(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196437 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख